audents. In ity of India will bend to slogans...The more endurindestructible

out a technical inspection of the accident spot. Statements of a few eyewitnesses have been recorded. The driver has been taken into custody." The bodies have been sent for autopsy. An FIR has been registered against the driver under IPC sections 304-A (causing death by negligence) and 279 (rash driving), police said.

mon enonsolique estivir nigalagnam 2MIIA retary Baldeo Chaudhary said though his group "didn't need permission" to install loudspeakers in the town, the organisation had applied for the same. However, the administration has denied it.

We are prepared to install loudspeakers at 21 crossings of Aligarh and will start the process on Tuesday (April 19)," said Chaudhary.

s in UP's Kairana offer water, fruits to s during Hanuman Jayanti procession

essage of communal violence from across intry, Muslims welprocession by showng cold water, fruits levotees on Monday area of Kairana in

votees to manoeuvre

through the narrow streets during the proces-

"Kairana is a Muslim majority town and it is the responsibility of every citizen living here to be involved in each other's happiness and sorrow. The city is infamous only because of politics and crime, but people here live with love. Everyone respects each other's religions," said one Mohammad Saqib Malik, a local resident

A member of Shri Hanuman Seva Samiti

Kairana, Shagun Mittal, told TOI, "Communalism has never been an issue in Kairana. Hindu and Muslim communities live here with great love and harmony. Everyone participates in each other's festivals and happiness. The image of Kairana has been tarnished only because of the criminals and they have no religion.

SHO Kairana Anil Kaparwan said that a heavy police force was deployed for the Hanuman Jayanti procession and the event ended peacefully with everyone's cooperation.

phways Authority of India

Road Transport and Highways)

ISER FEE (TOLL) RATES AT SARAI AZA APPLICABLE FROM 19.04.2022

at pursuant to Fee Notification published in the 03.02.2020 by MoRTH and approval of user fee of NHAI, the user fee rates for use of section from pur to Khutar section) of NH-730 is going to be a Toll Plaza (Chainage: 69.700 Km, near Hitouta he State of Uttar Pradesh at the following rates:

Amount in Rs Fee for Fee for Monthly Pass valid for 50 Fee for Return Journey within a ey vehicles Journeys registered in district day 55 1200 20 85 1940 30 185 4065 60 200 4435 65 285 6375 95 350 7765 115

ble for local non-commercial vehicle residing ne toll plaza shall be Rs 315/-

ped under public funds (The above section was tract Agreement dated 30.11.2016 on EPC basis rtified the completed length of 44.132 Km. for The above rates are applicable for a completed

ngth (Km)	Equivalent (km) for which user fee is to be levied	Lane Configuration
44.132	44.132	2 Lane with PS
0	0	0
0	0	0

available at above toll plaza: s from the time of payment for all categories of

from date of payment for all categories of

month for non-commercial vehicle residing

g those plying under national permit) iza (discount 50%)

as given in the Amendment to Fee Rules dated


excess of permissible load, shall pay 10 times e the excess load to make use of highway. is Rs 205.200 Crore. The user fee (toll) rates ery of capital cost.

omplaints/suggestions, please contact Project), Green Park, Bisalpur Road, Bareilly, Mob.

I ATION, NOT JUST ROAD



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश लिंक रोड नं 3, पत्रकार कॉलोनी के सामने, भोपाल



Dai

bud

Co

03

54

DS

0)

dat

nA

u

0

VICE

uuus

tenc

natu

But

1801

tye d

qrecr

vent

di lo

HCP

inthi

lot A

thre

angue

rers

noid

torca

tarm

SSOT

hsni

nant

portu

pail

proad losui,

P Con

क्रमांक/एन.एच.एम./का.प्र./2022/2459

संशोधित विज्ञित

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के विज्ञप्ति क्रमांक/एनएचएम/कार्यं प्रशा /2022/1583/G234 भोपाल दिनांक 03.03.2022 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र अंतर्गत उप संचालक(आई.टी) के पद की पूर्ति प्रतिनियुक्ति के माध्यम से किये जाने हेतु पात्र अभ्यार्थियों से आवेदन आमंत्रित किये गये थे।

तत्संबंध में सूचित किया जाता है कि उक्त पद के आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने की अंतिम तिथि 17.03.2022 से संशोधित करते हुये दिनांक 29.04.2022 की जाती है आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने की शेष शर्ते पूर्ववत रहेंगी।

(मिशन सुंचालक, एनएचएम द्वारा अनुमोदित)

नब तक कोरोना की दवाई नहीं, तब तक कोई ढिलाई नहीं।

G-11643/22

उप संचालक, कार्यालय प्रशासन एन.एच.एम., मध्यप्रदेश



मुख्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

''गौरा देवी पर्यावरण भवन'' 46वी, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून, Website : ueppcb.uk.gov.in, E-mail: msukpcp@yahoo.com, Ph. No. 2976157, 2976158, 2607092

पत्रांक -यूईपीपीसीबी / एचओ / एनओसी-7566 / 22 / 147

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये सूचना

मैं कदानी माइन्स, ग्राम मल्लासंयुदा, तहसील एवं जिला बागेश्वर द्वारा ग्राम मल्लासंयुदा, तहसील एवं जिला बागेश्वर में सोपस्टोन माईनिंग (क्षेत्रफल-14.062 हैं0, उत्पादन - 25,784 टन क्षमता) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव क्रे लिये राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा Terms of Reference निर्घारित किये गये हैं. जिनके अन्तर्गत प्रस्तावक के द्वारा ड्राफ्ट पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं पर्यावरण प्रबन्धन योजना तैयार कर प्रस्तुत की गयी है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 14,09,2006 यथासंशोधित के अनुसार उक्त प्रकार की परियोजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व लोक सुनवाई का प्राविधान है, जिस हेतु 30 दिनों का नोटिस समाचार पत्रों के माध्यम से जन साधारण के संज्ञानार्थ दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई हेतु "पैनल" की संरचना उक्त अधिसूचना के अनुरूप निम्नवत् है :

जिलाधिकारी, जनपद बागेश्वर या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो अपर जिलाधिकारी स्तर से कम पद का न हो, लोक सुनवाई के अध्यक्ष।

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि।

प्रस्ताव से सम्बन्धित जमा समस्त अभिलेख क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, 25—सुभाष रोड़, देहरादून; मुख्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 46 बी, आई०टी० पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून; क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल; कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर; कार्यालय जिला पंचायत, बागेश्वर; जिला उद्योग केन्द्र, बागेश्वर एवं नगर पालिका परिषद, बागेश्वर में उपलब्ध हैं जिनका कोई भी इच्छुक संस्था / व्यक्ति अवलोकन कर सकता हैं। ड्राफ्ट पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं सारांश की प्रति www.ueppcb.uk.gov.in पर भी उपलब्ध है।

मैं। रूद्रानी माइन्स, ग्राम मल्लासंयुदा, तहसील एवं जिला बागेश्वर द्वारा ग्राम मल्लासंयुदा, तहसील एवं जिला बागेश्वर में सोपस्टोन माईनिंग (क्षेत्रफल-14.062 है0, उत्पादन - 25,784 टन क्षमता) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई दिनांक 24.05.2022 को प्रातः 11:00 बजे से परियोजना स्थल में तत्समय कोविड-19 के संदर्भ में विद्यमान SoP के अधीन सोशल डिस्टेंसिंग, आवश्यक रूप से मास्क का प्रयोग, थर्मल स्क्रीनिंग एवं हैंडवाश व सेनेटाइजर तथा अन्य सुरक्षात्मक उपायों के साथ निर्धारित की

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित परियोजना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने मौखिक, लिखित, सुझाव, टीका टिप्पणियों एवं आपत्तियां इस कार्यालय अथवा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, जाराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी में इस सूचना से सम्बन्धित विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर प्रेषित कर सकते हैं अथवा लोक सुनवाई के समय भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

सदस्य सचिव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड